न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 9/2021 **दायर दिनांकः 01/02/2021**

उनवान

1. ललावती आयु 76 वर्ष पुत्री रामगोपाल पत्नि नन्दलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया हाल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 22/04/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू के खाता संख्या 6 का कुल किता 36 का कुल रकबा 23.98 है0 आराजी व खाता संख्या 238 का कुल किता 9 का कुल रकबा 8.91 है0 आराजी तथा वाके ग्राम एवं माल अटरू की खाता संख्या 14 का कुल किता 3 का कुल रकबा 5.29 है0 आराजी व खाता संख्या 15 का कुल किता 1 का कुल रकबा 3.69 है0 आराजी प्रार्थीया के अन्य सहखातेदारान के साथ शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। चार नकल जमाबन्दिया संवत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थिया का नाम ललावती के स्थान पर कलावती दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया का अर्डान्द की राजस्व जमाबन्दी खाता संख्या 284 व ग्राम छैलाबेल की खाता संख्या 152 में सही नाम ललावती दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थिया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक तथा ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र में भी सही नाम ललावती दर्ज है। दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:01 IST
Reason: SelfAttested

साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थिया अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रही हैं तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम ललावती दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम ललावती दर्ज नही किया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी। इसलिए प्रार्थिया प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अपना सही नाम ललावती दर्ज करवाने की अधिकारी व नॉलिशी है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम ललावती राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 6 किता 36 रकबा 23.98 है0, खाता संख्या 238 किता 9 रकबा 8.91 है0, व ग्राम अटरू की खाता संख्या 14 किता 3 रकबा 5.29 है0 व खाता संख्या 15 किता 1 रकबा 3.69 है0 में प्रार्थिया का नाम सह खातेदार के रूप में कलावती दर्ज है, तथा ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 284 किता 2 रकबा 3.18 है0 व ग्राम [illegible] की खाता संख्या 152 किता 11 रकबा 9.49 है0 में प्रार्थिया का सही नाम ललावती दर्ज है, तथा अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी एस.बी.आई अटरू में प्रार्थिया का नाम ललावती दर्ज है, तथा ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2021 अनुसार भी प्रार्थिया का नाम ललावती बाई है, जो सही नाम है। राजस्व रिकार्ड में कलावती के स्थान पर सही नाम ललावती दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:01 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थिया को सुना तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया, उक्त प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार प्रार्थिया का सही नाम ललावती है, सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 6 किता 36 रकबा 23.98 है0, खाता संख्या 238 किता 9 रकबा 8.91 है0, व ग्राम अटरू की खाता संख्या 14 किता 3 रकबा 5.29 है0 व खाता संख्या 15 किता 1 रकबा 3.69 है0 में सहखातेदार कलावती के स्थान पर ललावती राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:21:01 IST
Reason: SelfAttested